वार्षिक प्रतिवेदन

(वित्तीय वर्ष 2019–2020)

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, ''मेट्रो प्लाजा'' बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016
फोन–0755–2430154, 2463585, फैक्स– 2981055
वेबसाईट : www.mperc.in
ई–मेल : secretary@mperc.in

विषय सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.	आयोग की संरचना	3
2.	कार्यकारी संक्षिप्त विवरण	4
3.	वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए टैरिफ आदेशों का संक्षिप्त विवरण	5 से 9
4.	वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए खुदरा प्रदाय टैरिफ आदेशों के मुख्य बिंदु ।	10 से 11
5.	वित्तीय वर्ष के दौरान जारी विनियम जिसमें विद्यमान विनियम में संशोधन/ परिवर्धन सम्मिलित ।	12
6	वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निराकृत की गई याचिकाओं की संख्या	13
7.	वित्तीय वर्ष के दौरान विद्युत उपभोक्ता शिकायत प्रतितोषण क्रियाविधि की कार्य पद्वति ।	14
8.	राज्य परामर्शदात्री समिति की जानकारी ।	15 से 16

अध्याय – 1

आयोग की संरचना

डॉ. देव राज बिरदी का आयोग के अध्यक्ष पद पर कार्यकाल दिनांक 7/2/2015 से दिनांक 13/1/2020 तक रहा । आयोग के दो सदस्य क्रमशः श्री मुकुल धारीवाल दिनांक 2/1/2018 से तथा श्री शशि भूषण पाठक दिनांक 16/8/2019 से पदस्थ हैं ।

आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का विवरण
(वित्तीय वर्ष 2019–20 की स्थिति में)

सरल क्रमांक	नाम	पदनाम	कार्य ग्रहण तिथि	कार्यकाल	वर्तमान/ सेवानिवृत्त
1.	डॉ. देव राज बिरदी	अध्यक्ष	07.2.2015	13.01.2020	सेवानिवृत्त
2.	श्री मुकुल धारीवाल	सदस्य	02.01.2018	01.01.2023	वर्तमान
3.	श्री शशि भूषण पाठक	सदस्य (विधि)	16.08.2019	9.12.2021	वर्तमान

अध्याय – 2

कार्यकारी संक्षिप्त विवरण

2.1 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मप्रविनिआ) का गठन, विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अंतर्गत किया गया । तत्पश्चात् राज्य शासन द्वारा 3 जुलाई 2001 को विद्युत सुधार अधिनियम 2000 प्रभावी किया गया तथा नियामक आयोग को इस राज्य अधिनियम के अन्तर्गत गठित माना गया । इसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया गया, जो कि विद्युत क्षेत्र से संबंधित एक व्यापक विधान है, जिसके अंतर्गत म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, को गठित एवं कार्यशील माना गया है ।

2.2 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के अनुसार, आयोग से प्रत्येक वर्ष में पूर्व वर्ष की गतिविधियों के संक्षिप्त विवरण को दर्शाते हुए एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने की अपेक्षा की गई है, जिसके अनुसार प्रतिवेदन की प्रतिलिपियाँ राज्य शासन को प्रेषित की जाती है, जिसे राज्य सरकार द्वारा विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है । मध्य प्रदेश शासन द्वारा ''मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक रिपोर्ट), नियम 2019'' जारी किए गए हैं ।

2.3 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा तद्नुसार वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर इसे राज्य शासन को प्रेषित किया जा रहा है। यह प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2019–20 से संबंधित है ।

अध्याय – 3

(अ) वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए टैरिफ आदेशों का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च 2020 की अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र से संबंधित जारी किये गये टैरिफ आदेश

सरल क्रमांक	याचिका क्रमांक	याचिकाकर्ता	विषय	आदेश की तिथि
1	पी–49 / 2018	मेसर्स जयप्रकाश पावर वेन्चर्स लिमिटेड, बीना	मध्यप्रदेश राज्य में, बीना स्थित 2x250 मेगावाट (चरण–1) की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना की विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण के सत्यापन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा किये गये अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 एवं धारा 86(1)(क) सहपठित मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) विनियम 2015 के अधीन दाखिल की गई सत्यापन याचिका के संबंध में।	31–05–2019
2	पी–51 / 2018	मेसर्स एम. बी. पावर (मध्यप्रदेश) लिमिटेड	मध्यप्रदेश राज्य में अनूपपुर स्थित 2x600 मेगावाट (चरण–1) की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु आयोग द्वारा अवधारित उत्पादन विद्युत–दर (generation tariff) के सत्यापन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा किये गये अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 एवं धारा 86 (1) (क) के अंतर्गत दाखिल की गई सत्यापन याचिका के संबंध में।	12–06–2019
3	पी–57 / 2018	मेसर्स एम. बी. पावर (मध्यप्रदेश) लिमिटेड	मध्यप्रदेश राज्य में, अनूपपुर स्थित 2x600 मेगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना की इकाई क्रमांक 2 हेतु आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए अवधारित उत्पादन विद्युत–दर (generation tariff) के सत्यापन हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 एवं धारा 86(1)(क) के अधीन दाखिल की गई सत्यापन याचिका के संबंध में।	01–07–2019

सरल क्रमांक	याचिका क्रमांक	याचिकाकर्ता	विषय	आदेश की तिथि
4	पी–01 / 2019	म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड	म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा बहुवर्षीय विद्युत– दर (Multiyear Tariff) आदेश दिनांक 14 जुलाई, 2016 के अनुसार आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु अवधारित उत्पादन विद्युत–दर (generation teriff) के सत्यापन हेतु दाखिल की गई याचिका।	19–07–2019
5	पी–05 / 2019	मेसर्स जयप्रकाश पावर वेन्चर्स लिमिटेड, निगरी	मेसर्स जयप्रकाश वेन्चर्स लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में निगरी स्थित 2x660 मेगावाट कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना हेतु आयोग द्वारा आदेश दिनांक 29 नवम्बर, 2018 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु उत्पादन विद्युत–दर के अवधारण हेतु दाखिल की गई सत्यापन याचिका।	25–07–2020
6	पी–31 / 2019	मेसर्स जयप्रकाश पावर वेन्चर्स लिमिटेड, बीना	मध्यप्रदेश राज्य में बीना स्थित 2x250 मेगावाट (चरण–1) कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु आयोग द्वारा बहुवर्षीय विद्युत–दर (MYT) आदेश दिनांक 8 अगस्त, 2016 के माध्यम से अवधारित तथा याचिका क्रमांक 49 / वर्ष 2018 के अन्तर्गत दिनांक 31–05–2019 को पारित उत्पादन विद्युत दर की समीक्षा हेतु मप्रविनिआ (कार्य संचालन) विनियम 2014 के विनियम 40 के अधीन दाखिल की गई याचिका।	30–09–2019
7	पी–07 / 2019	मेसर्स जयप्रकाश पावर वेन्चर्स लिमिटेड, निगरी	मेसर्स जयप्रकाश पावर वेन्चर्स लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में निगरी स्थित 2x660 मेगावाट कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना हेतु आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु आदेश दिनांक 29 नवम्बर, 2018 के अनुसार अवधारित उत्पादन विद्युत–दर (generation tariff) के सत्यापन हेतु दाखिल की गई याचिका।	22–10–2019

सरल क्रमांक	याचिका क्रमांक	याचिकाकर्ता	विषय	आदेश की तिथि
8	पी–35 / 2019	म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड	म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु दाखिल की गई याचिका क्रमांक 1 / वर्ष 2019 के अन्तर्गत आयोग द्वारा कंपनी के उत्पादन केन्द्रों (पावर स्टेशनों) हेतु अवधारित उत्पादन विद्युत–दर (generation tariff) के सत्यापन आदेश दिनांक 19–07–2019 की समीक्षा हेतु याचिका।	19–11–2019
9	पी–12 / 2019	मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2004 सहपठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(1)(च) के अधीन आयोग द्वारा पारित टैरिफ आदेश दिनांक 30. 11.2018 की समीक्षा हेतु याचिका।	27–12–2019
10	पी–26 / 2019	मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड	मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु आयोग द्वारा टैरिफ आदेश दिनांक 30 नवम्बर, 2018 के अनुसार कंपनी की 1x600 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना हेतु अवधारित उत्पादन विद्युत–दर (generation tariff) के सत्यापन हेतु याचिका।	04–01–2020
11	अपील क्रमांक 54 / 2018 के अन्तर्गत याचिका क्रमांक पी–11 / 2017	मेसर्स जयप्रकाश पावर वेन्चर्स लिमिटेड, बीना	याचिका क्रमांक 11, वर्ष 2017 के अन्तर्गत इन्फर्म पावर के विक्रय से राजस्व की दो बार की गई कटौती के संबंध में आयोग के आदेश दिनांक 4 दिसम्बर, 2017 के विरूद्ध मेसर्स जयप्रकाश पावर वेन्चर्स लिमिटेड द्वारा दाखिल की गई अपील क्रमांक 54, वर्ष 2018 पर माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिप्रेषण (remit back) संबंधी आदेश के मामले में।	09–01–2020

सरल क्रमांक	याचिका क्रमांक	याचिकाकर्ता	विषय	आदेश की तिथि
12	पी–04–2020	मेसर्स जयप्रकाश पावर वेन्चर्स लिमिटेड बीना	कंपनी की वित्तीय वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 हेतु दायर सत्यापन याचिकाओं पर आयोग के आदेश द्वारा अमान्य किए गए प्रकाशन खर्चो की प्रतिपूर्ति पर पुर्नविचार हेतु दायर याचिका ।	28–01–2020
13	पी–50 / 2018	म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	याचिका क्रमांक 02 / 2016 के अन्तर्गत बहुवर्षीय विद्युत–दर (MYT) आदेश दिनांक 10–06–2016 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु पारेषण आदेश के सत्यापन संबंधी याचिका।	04–01–2020

(ब) खुदरा प्रदाय विद्युत टैरिफ तथा सत्यापन आदेश

क्रमांक	खुदरा प्रदाय विद्युत दर आदेशों के विवरण	जारी करने की तिथि
1	याचिका क्रमांक 08/2019 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड तथा राज्य की तीनों वितरण कंपनियों (म. प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर तथा म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल) के लिए खुदरा प्रदाय विद्युत दर आदेश।	08.08.2019
2	याचिका क्रमांक 10/2019 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु एस.ई. जेड. पीथमपुर के लिए खुदरा प्रदाय विद्युत दर आदेश।	17.10.2019
3	याचिका क्रमांक 42/2017 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एस.ई. जेड. पीथमपुर के लिए विद्युत दर सत्यापन आदेश।	13.01.2020
4	याचिका क्रमांक 43/2017 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु एस.ई. जेड. पीथमपुर के लिए विद्युत दर सत्यापन आदेश।	13.01.2020
5	याचिका क्रमांक 44/2017 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु एस.ई. जेड. पीथमपुर के लिए विद्युत दर सत्यापन आदेश।	13.01.2020
6	याचिका क्रमांक 45/2017 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु एस.ई. जेड. पीथमपुर के लिए विद्युत दर सत्यापन आदेश।	13.01.2020
7	याचिका क्रमांक 46/2017 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु एस.ई. जेड. पीथमपुर के लिए विद्युत दर सत्यापन आदेश।	13.01.2020
8	याचिका क्रमांक 67/2017 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु एस.ई. जेड. पीथमपुर के लिए विद्युत दर सत्यापन आदेश।	13.01.2020
9	याचिका क्रमांक 06/2018 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु एस.ई. जेड. पीथमपुर के लिए विद्युत दर सत्यापन आदेश।	13.01.2020
10	याचिका क्रमांक 11/2019 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु एस.ई. जेड. पीथमपुर के लिए विद्युत दर सत्यापन आदेश।	13.01.2020

अध्याय – 4

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान जारी किए गए खुदरा प्रदाय टैरिफ आदेशों के मुख्य बिंदु

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए खुदरा विद्युत प्रदाय हेतु आयोग द्वारा टैरिफ आदेश दिनांक 08.08.2019 को पारित किया गया । आदेश की मुख्य विशिष्टताएं निम्नानुसार है :–

1 विभिन्न उपभोक्ता श्रेणी की विद्युत दरो में समग्र रूप से 7% वृद्धि की गई ।

2 विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा रूपये 38,163 करोड़ की कुल राजस्व आवश्यकता प्रस्तावित की गई थी जिसके विरूद्ध आयोग द्वारा रूपये 36,671 करोड की आवश्यकता को ही ग्राह्य किया गया जिसमें वित्तीय वर्ष 2016–17 के मप्र पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 मे मप्र पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड के टैरिफ आदेश के सत्यापन एवं विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय वर्ष 2013–14 की सत्यापन याचिकाओं का वित्तीय प्रभाव सम्मिलत है। स्वीकृत सकल राजस्व आवश्यकता एवं अनुमानित कुल राजस्व आय में कोई भी अंतर नहीं है।

3 तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के लिए विनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप ही वितरण हानियों के स्तर को ग्राह्य किया गया, जो कि निम्नानुसार है :–

कम्पनी	वर्ष 2019–20 के लिए ग्राह्य वितरण हानियों का स्तर
पूर्व	**16%**
पश्चिम	**15%**
मध्य	**17%**

टैरिफ **के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं**

1. विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत विद्युत–दर में 12.03 प्रतिशत वृद्धि की मांग के विरूद्ध आयोग द्वारा 7 प्रतिशत की वृद्धि स्वीकार की गई । घरेलू तथा गैर घरेलू संयोजनों के विरूद्ध विद्युत–दर में वृद्धि अपेक्षाकृत कम, अर्थात् क्रमशः 5.1 तथा 4.9 प्रतिशत ही रखी गई ।

2. निम्न श्रेणियों के अन्तर्गत कोई वृद्धि नहीं की गई :–
   क. वैवाहिक उद्यानों, सामाजिक/वैवाहिक प्रयोजन तथा धार्मिक समारोह हेतु अस्थाई संयोजन
   ख. ई–वाहन/ई–रिक्शा चार्जिंग केन्द्र
   ग. रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)

3. स्वयं के गृह निर्माण हेतु विद्युत–दर में मामूली कमी की गई।

4. घरेलू उपभोक्ताओं के खपत प्रतिमान को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा 51 से 100 यूनिट स्लैब की पुनर्संरचना की गई है तथा नवीन स्लैब अब 51 से 150 यूनिट हेतु लागू है।

5. मीटर रीडिंग अंतराल 30 दिवस से अधिक होने पर, उसका प्रभाव विद्युत दर स्लेब पर नहीं पड़ने के उद्देश्य से अनुपातिक दर से बिलिंग किये जाने की अनुमति प्रदान की गई, जिससे बिलिंग में उपभोक्ता को किसी प्रकार की आर्थिक हानि न हो ।
6. विद्युत–दर को युक्तियुक्त बनाये जाने हेतु सार्वजनिक जल प्रदाय दर तथा पथ–प्रकाश दर का संविलियन किया गया है।

7. क्ष–किरण संयत्रों (एक्सरे प्लांट) हेतु अतिरिक्त प्रभार समाप्त किया गया।

8. कृषि– राज्य शासन द्वारा प्रदाय की जा रही सब्सिडी के फलस्वरूप 10 हार्स पावर तक के फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ताओं को मात्र रू. 700/– प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष की दर से भुगतान करना होगा। 10 हार्स पावर से अधिक के कृषि उपभोक्ताओं को राज्य शासन द्वारा देय सब्सिडी के उपरांत मात्र रू. 1400/– प्रति हार्स पावर प्रतिवर्ष की दर से भुगतान करना होगा।

9. गौशालाओं से चारा–कृषि (फॉडर फार्मिंग) हेतु पम्पों को कृषि फ्लैट रेट बिलिंग में सम्मिलित किया गया ।

10. निम्न दाब (एल वी) तथा उच्च दाब (एच वी) उपभोक्ता जो मांग आधारित विद्युत दर (डिमांड बेस्ड टैरिफ) पर संयोजित हैं, उन्हें उनकी संविदा मांग से 15 प्रतिशत अधिक तक सामान्य दरों पर विद्युत का उपयोग करने की सुविधा को बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया ।

11. निम्न दाब उपभोक्ता के लिये बिल राशि के त्वरित भुगतान हेतु दी गई 0.25 प्रतिशत छूट को बढ़ा कर 0.50 प्रतिशत किया गया । पूर्व में यह सुविधा रू. एक लाख तथा इससे अधिक की राशि का भुगतान वाले उपभोक्ताओं को उपलब्ध थी, अब इस सुविधा का विस्तार रू. दस हजार या उससे अधिक का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के लिये भी विस्तारित किया गया । इससे अधिक संख्या में उपभोक्ताओं को लाभ प्राप्त होगा।

12. विद्युत दर श्रेणी एच वी 3 (औद्योगिक, गैर–औद्योगिक, शॉपिंग मॉल तथा गहन विद्युत इकाईयां) के अन्तर्गत गत वर्ष की तुलना में बढ़ी हुई खपत पर वर्तमान 60 पैसे प्रति यूनिट की छूट को बढ़ाकर 1 रूपये प्रति यूनिट किया गया ।

13. पूर्व में मात्र ग्रीन फील्ड परियोजनाओं हेतु लागू की गई रू. 1 प्रति यूनिट की छूट को समस्त नवीन उच्च दाब संयोजनों के लिए लागू किया गया है। यह छूट वित्तीय वर्ष 2021–22 तक लागू रहेगी।

14. उच्च दाब उपभोक्ताओं (जैसे कि कैप्टिव पावर संयत्रों, ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं तथा निम्न दाब से उच्च दाब हेतु परिवर्तित उपभोक्ता) के लिये भी वर्तमान में लागू छूट को वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु भी जारी रखा गया ।

15. आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया कि RTGS/NEFT के माध्यम से किये गये बिलों के भुगतानों को भी ऑनलाईन भुगतान छूट की पात्रता होगी।

अध्याय – 5

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान जारी किये गये विनियमों की सूची

सरल क्रमांक	विनियम का नाम	अधिसूचना क्रमांक	अधिसूचना की तिथि
1	मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता, 2019 (पुनरीक्षण–द्वितीय)	834 / मप्रविनिआ / 2019	21–06–2019
2	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 में प्रथम संशोधन	1332 / मप्रविनिआ / 2019	04–10–2019
3	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें एवं प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2015 (द्वितीय संशोधन)	1574 / मप्रविनिआ / 2019	15–11–2019
4	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ऊर्जा के नवकरणीय स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन) विनियम, 2010 (आठवां संशोधन)	1780 / मप्रविनिआ / 2019	27–12–2019
5	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2020।	234 / मप्रविनिआ / 2020	14–02–2020
6	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2020	300 / मप्रविनिआ / 2020	28–02–2020

अध्याय – 6

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त एवं निराकृत की गई याचिकाओं की कुल संख्या

अनुज्ञापन एवं विनियम संचालनालय :–

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 35 याचिकाएं, जिसमे 01 स्वप्रेरणा याचिका सम्मिलित है पंजीकृत की गई। पूर्व वर्ष की 09 याचिकाएं प्रक्रियाधीन थी। इस प्रकार कुल 44 याचिकाओं में से 12 याचिकाओं का निराकरण किया गया, जबकि शेष 32 याचिकाओं पर प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष अर्थात 2020–21 में जारी रहेगी।

विनियम प्रवर्तन संचालनालय :–

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 17 याचिकाएं पंजीकृत की गई। पूर्व वर्ष की 20 याचिकाएं प्रक्रियाधीन थी, जिसमे 01 स्वप्रेरणा याचिका सम्मिलित है । इस प्रकार कुल 37 याचिकाओं में से 18 याचिकाओं का निराकरण किया गया, जबकि शेष 19 याचिकाओं पर प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष अर्थात 2020–21 में जारी रहेगी।

टैरिफ संचालनालय :–

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 27 याचिकाएं पंजीकृत की गई। पूर्व वर्ष की 08 याचिकाएं प्रक्रियाधीन थी। इस प्रकार कुल 35 याचिकाओं में से 14 याचिकाओं का निराकरण किया गया, जबकि शेष 21 याचिकाओं पर प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष अर्थात 2019–20 में जारी रहेगी।

,

अध्याय – 7

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान विद्युत उपभोक्ता शिकायत प्रतितोषण क्रियाविधि की कार्य पद्धति

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत प्रतितोषण क्रियाविधि की कार्य पद्धति के लिये अधिसूचना दिनांक 30 अप्रैल, 2004 के माध्यम से '' मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2004'' तथा अधिसूचना दिनांक 28 अगस्त 2009 के द्वारा ''मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009'' को अधिसूचित किया है । जिसमें मुख्य उद्देश्य निम्न हैः–

फोरम का गठन

प्रत्येक विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत अधिनियम की धारा 42 (5) के अंतर्गत फोरम का गठन करेगा, जिसे इन विनियमों के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु 'विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम' नामोद्दिष्ट किया जाएगा । फोरम उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा सामान्यतः छः सप्ताह की अवधि के भीतर करेंगे जो किसी भी दशा में आठ सप्ताह से अधिक न होगी । तीनों वितरण कंपनियों द्वारा उनके मुख्यालयों पर उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम का गठन किया गया है, ये फोरम क्रमशः जबलपुर, भोपाल एवं इंदौर में कार्यशील है ।

विद्युत लोकपाल

आयोग समय–समय पर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जैसा आयोग उचित समझे, अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (7) में वर्णित कृत्यों का निर्वहन करने हेतु विद्युत लोकपाल के रूप में नियुक्त अन्यथा नामोद्दिष्ट कर सकेगा । उपभोक्ता फोरम के निर्णय से असंतुष्ट होने पर उपभोक्ता के अपनी शिकायत के निराकरण हेतु विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील करने का विकल्प है । विद्युत लोकपाल विद्युत नियामक आयोग के अंतर्गत भोपाल में कार्यशील है ।

अध्याय – 8

राज्य परामर्शदात्री समिति से संबंधित जानकारी ।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 के अंतर्गत आयोग द्वारा एक राज्य सलाहकार समिति गठित किए जाने का प्रावधान है । इस राज्य सलाहकार समिति में निम्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान अनुसार रहता हैः–

वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, श्रमिक/मजदूर, उपभोक्तागण, गैर सरकारी / अशासकीय संगठन, शैक्षणिक और विद्युत क्षेत्रों के शोध संस्थाओं में से चयन उपरांत सदस्य मनोनित कर मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की राज्य सलाहकार समिति का गठन किया गया है । सलाहकार समिति की बैठक आयोग द्वारा आयोजित की जाती है । समिति में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण, राज्य सलाहकार समिति के क्रमशः पदेन अध्यक्ष एवं सदस्य है । राज्य शासन के, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव, समिति के पदेन सदस्य हैं । राज्य सलाहकार समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार है :–

स.क्र.	नाम	पता	वर्ग
1	श्री द्वारिका गुप्ता	अध्यक्ष, विंध्य चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, नियर सर्किट हाउस चौक, सतना (म.प्र.)–485001	वाणिज्य
2	श्री महेश गुप्ता	अध्यक्ष, ''लघु उद्योग भारती'', 99, पोलोग्राउण्ड, इंदौर–453003 (म.प्र.)	उद्योग
3	श्री उल्लास वैद्य	मेसर्स शिर्डी टाइल्स, 56/57, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, मक्सी रोड, उज्जैन (म.प्र.)–456010	उद्योग
4	श्री महेन्द्र पी. खंते	उपाध्यक्ष, (ई एण्ड आई), वर्धमान फेब्रिक्स, विल पिलिकरर, तालपुरा, रेहटी रोड, तह. बुदनी, जिला–सीहोर (म.प्र.)–466445	उद्योग
5	श्री मनोज मोदी	अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ ऑल इण्डस्ट्रीज, 86 मालवीय नगर, भोपाल (म.प्र.)–462003	उद्योग
6	श्री विपिन कुमार जैन	मध्यप्रदेश लघु उद्योग संघ, ई–2/20, अरेरा कालोनी, महावीर नगर, भोपाल–462016 (म.प्र.)	उद्योग

स.क्र.	नाम	पता	वर्ग
7	मुख्य विद्युत वितरण अभियंता	पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर, (म.प्र.)–483119	परिवहन
8	श्री सुनील गौर	अध्यक्ष, नर्मदा बीज उत्पादन सहकारी समिति मर्यादित, रेवगांव, तह. बुदनी जिला– सीहोर (म.प्र.)–466001	कृषि
9	श्री हरि बिसानी	कृषक, बनखेड़ी, तह. पिपरिया, जिला–होशंगाबाद (म.प्र.)–461990	कृषि
10	श्री दिलीप कुमार झुमकलाल भण्डारी	ग्राम व तहसील –पेटलावाद, जिला–झाबुआ (म.प्र.)–45773	कृषि
11	श्री दयाराम पाटीदार	उपाध्यक्ष, भारतीय किसान संघ, मालवा क्षेत्र, ग्राम– बुदियाखेड़ी, पोस्ट–सिधाना, तह. मनावर जिला–धार (म.प्र.)–454446	कृषि
12	श्री के.के. तिवारी	मध्यप्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ, परदेशीपुरा, इंदौर (म.प्र.)–452011	श्रमिक/मजूदर
13	श्री नरेन्द्र पाटीदार	ग्राम–गुरदियालाल मुहा, तह. दालोदा, जिला– मंदसौर (म.प्र.)–458667	उपभोक्ता
14	सुश्री स्मिता सक्सेना	अध्यक्ष, आशा स्मिता फाउण्डेशन, सी–99, न्यू मिनाल रेसीडेंसी, जिला–भोपाल (म.प्र.)–462023	गैर शासकीय संगठन
15	श्रीमती अर्चना भटनागर	मध्यप्रदेश एसोसिएशन ऑफ वूमन एण्ड इण्टरप्रेनर, 433/2, नेपियर टाउन, हउबाग रेलवे स्टेशन रोड, नियर मंगनी हॉस्पिटल, जबलपुर (म.प्र.)–462008	गैर शासकीय संगठन
16	श्रीमती सविता नेमा	मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी (मैनिट) भोपाल (म.प्र.)–462007	शैक्षणिक एवं अनुसंधान
17	श्री बी.ए. सावले	एडीशनल डायरेक्टर, सेन्ट्रल पॉवर रिसर्च इंस्टीट्यूट, गोविन्दुपरा, भोपाल (म.प्र.)–462023	शैक्षणिक एवं अनुसंधान